

वकिपीडिया के वरिद्ध मानहानिका मुकदमा

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

हाल ही में समाचार एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (Asian News International- ANI) ने ANI के वकिपीडिया पेज पर कथति रूप से अपमानजनक सामग्री की अनुमति देने के लिये वकिपीडिया के वरिद्ध दलिली [उच्च नयायालय](#) में याचिका दायर की है।

- याचिकाकर्त्ता ने 2 करोड़ रुपए की कषतपूरतकी मांग करते हुए आरोप लगाया है कि सामग्री "स्पष्ट रूप से झूठी" और अपमानजनक है तथा इससे उसकी प्रतषिठा धूमलि हो रही है एवं उसकी सद्भावना को ठेस पहुँच रही है।

वकिपीडिया

- यह वर्ष 2001 में जमी वेलस और लैरी सेंगर द्वारा स्थापति एक नशुलक ऑनलाइन वशिवकोश है।
- यह ज्ञान की वभिनिन शाखाओं पर स्वतंत्र रूप से संपादन योग्य सामग्री उपलब्ध कराता है, जिसका उद्देश्य लकि कयि गए लेखों के माध्यम से सूचना और मार्गदर्शन प्रदान करके पाठकों को लाभान्वति करना है।

वकिपीडिया के वरिद्ध ANI के मामले का कानूनी आधार क्या है?

- सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 की धारा 2(1)(w):**
 - इसमें "मध्यस्थ" की परिभाषा के अनुसार वह व्यक्ति शामिल है जो दूसरों की ओर से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संभालता है। इसमें दूरसंचार, नेटवर्क और इंटरनेट सेवा प्रदाता, वेब-होस्टिंग सेवाएँ, सर्च इंजन, ऑनलाइन भुगतान साइट, नीलामी साइट, बाजार तथा साइबर कैफे शामिल हैं।
- IT अधिनियम, 2000 की धारा 79 (सुरक्षति बंदरगाह खंड):**
 - यह मध्यस्थों को उनके प्लेटफॉर्मों के माध्यम से होस्ट या प्रसारति कसि भी तीसरे पक्ष की सामग्री या सूचना के लिये उत्तरदायतिव से कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
 - धारा 79(2)(b):** सुरक्षति बंदरगाह संरक्षण का लाभ उठाने के लिये, मध्यस्थ को नमिनलखिति शर्तें पूरी करनी होंगी:
 - उन्हें अपने कर्त्तव्यों का नरिवहन करते समय पूरी तत्परता बरतनी चाहयि।
 - इसे प्रसारण आरंभ नहीं करना चाहयि प्रसारण के प्राप्तकर्त्ता का चयन नहीं करना चाहयि या प्रसारण में नहिति जानकारी को संशोधति नहीं करना चाहयि।
 - इसे सरकार के नरिदेशों जैसे कि [मध्यस्थ दशि-नरिदेश और डजिटल मीडिया आचार संहति, 2021](#) या अदालती आदेशों का पालन करना चाहयि।
 - धारा 79(3)** में कहा गया है कि यदि मध्यस्थ, सरकार द्वारा अधिसूचति कयि जाने के बाद, नरिदषिट सामग्री को तुरंत हटाने या उस तक पहुँच अक्षम करने में वफिल रहता है, तो यह सुरक्षा लागू नहीं होगी।
- आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 3:**
 - यह ग्राहकों के डजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रामाणति करने की अनुमति प्रदान करता है और साथ ही प्रामाणीकरण के लिये असममति कुरपिटो प्रणाली तथा हैश फंक्शन के उपयोग की आवश्यकता होती है।
 - ग्राहक की सार्वजनिक कुंजी जो उनकी नजी कुंजी के साथ मलिकर एक अद्वितीय कुंजी युग्म का नरिमाण करती है, का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों को सत्यापति करने के लिये कयि जा सकता है।

नोट:

- आईटी अधिनियम की धारा 79 की तरह, अमेरिकी संचार नरिणय अधिनियम की धारा 230 में कहा गया है कि जो पक्ष इंटरैक्टिव कंप्यूटर सर्वसि प्रदान करते हैं या उनका उपयोग करते हैं, उन्हें तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई सामग्री का प्रकाशति या वक्ता नहीं मानी जाएगी।

